

जिला मुख्यालय सीहोर वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु निविदा की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है, कि जिला मुख्यालय सीहोर वाहन स्टेण्ड हेतु इच्छुक संस्थाओं, व्यक्तियों एवं कंपनियों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किया जाना है।

1. जिला मुख्यालय सीहोर में वाहन स्टेण्ड किराया राशि न्यूनतम 15,000/— रुपये मात्र प्रतिमाह है।

निविदा शर्तों के संबंध में सहमति दर्शाते हुए दिनांक 14.08.2025 के शाम 05.00 बजे तक निविदा निर्धारित शुल्क जमा कर जिला नाजिर, नजारत अनुविभाग, सीहोर से प्राप्त कर सकते हैं।

इस हेतु विस्तृत विवरण कार्यालय एवं अभिभाषक रांध सीहोर के नोटिस बोर्ड एवं उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।



प्रभारी अधिकारी
नजारत अनुविभाग, जिला न्यायालय
सीहोर (म.प्र.)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर (म. प्र.)

E-mail-dcourtshmp@nic.in, Contact No. 07562 292221, Fax 225698

// निविदा आमंत्रण सूचना //

—: निविदा फार्म:—

प्रथम पक्ष : निविदाकर्ता का नाम

गोबाईल नंबर _____

किस स्थान पर साइकिल स्टेण्ड का

संचालन करना चाहते हैं।

सीहोर

द्वितीय पक्ष:

प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर

जिला न्यायालय परिसर सीहोर स्थित वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु इच्छुक व्यक्ति, संस्थाओं से निम्न निर्धारित शर्तों के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है:—

1. उक्त वाहन स्टेण्ड संचालन की अवधि वित्तीय वर्ष अर्थात् एक अप्रैल से 31 मार्च तक वैध रहेगी।
2. निविदाकर्ता को निविदा फार्म के साथ वाहन स्टेण्ड हेतु राशि रु. 10,000/— (रु. बीस हजार मात्र) का इस हेतु अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर के नाम से नजारत अनुविभाग, सीहोर में जमा कराया जाना होगा। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ता को उक्त अमानत राशि के डिमांड ड्राफ्ट लौटा दिया जावेगा। सफल निविदाकर्ता के द्वारा जमा अमानत राशि रु. 100000/— रु. का डिमांड ड्राफ्ट के स्थान पर एफ.डी.आर. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर के नाम से नजारत अनुविभाग, सीहोर में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।
3. वाहन स्टेण्ड हेतु निर्धारित प्रीमियम राशि की न्यूनतम दर रुपये 15,000/— प्रतिमाह होगी।
जिस निविदाकर्ता द्वारा Bid में अधिकतम मासिक प्रीमियम शुल्क में निविदा अंकित किया जावेगा उसकी निविदा स्वीकृत की जावेगी।
4. निविदा फार्म के साथ रुपये 500/— का निविदा शुल्क के रूप में प्रधान जिला न्यायाधीश सीहोर के नाम से जमा करनी होगी, जो कि निविदा स्वीकृत न होने की दशा में वापसी योग्य नहीं होगी।
5. वाहन स्टेण्ड संचालन की अनुज्ञा एक वर्ष के लिये दी जाएगी और प्राप्त निविदाओं में से निविदाकर्ता की साख, कार्यानुभव व आचरण पर विचार करते हुए निविदा

स्वीकार/अस्वीकार की जाएगी, इस संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर का निर्णय अंतिम होगा।

- 6 वाहन स्टेण्ड का पंजीयन सक्षम प्राधिकारी/गुमास्ता अधिकारी (नगर पालिक परिषद) से नियमानुसार कराया जाना आवश्यक होगा।
- 7 मासिक प्रीमियम राशि लगातार तीन माह तक जमा न किये जाने की दशा में तथा निर्धारित पार्किंग शुल्क से अधिक शुल्क लिये जाने की दशा में सुरक्षा निधि की राशि जप्त कर ठेका तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।
- 8 वाहन स्टेण्ड संचालन के दौरान ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे, जिससे कि शासकीय सम्पत्ति व न्यायालय की गरिमा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित हो अथवा निविदा की शर्त का उल्लंघन हो।
- 9 वाहन स्टेण्ड का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में प्रातः 10.00 से सायं 6.00 बजे तक किया जावेगा। साथ ही समय समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश, सीहोर द्वारा दिये गये निर्देशानुसार ही किया जाएगा।
- 10 वाहन स्टेण्ड संचालन के दौरान उन्हे आबंटित स्थान में किसी भी प्रकार का निर्माण/संरचना नहीं करेंगे।
- 11 वाहन स्टेण्ड संचालन में ऐसा अस्थाई निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, पूर्व में प्रधान जिला न्यायाधीश को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुए अनुमोदित कराने के उपरांत ही कर सकेंगे, जो शासकीय सम्पत्ति को क्षति कारित करने वाला न हो।
- 12 वाहन स्टेण्ड हेतु आबंटित स्थान को साफ-सुथरा तथा प्रदूषण से मुक्त रखेंगे तथा किसी कार के ध्वनि विस्तारक यंत्र या आडियो सिरटम का उपयोग नहीं करेंगे।
- 13 वाहन स्टेण्ड हेतु आबंटित स्थान को सफल निविदाकर्ता स्वयं संचालित करेगा, किसी अन्य को आबंटित नहीं करेगा। वाहन हेतु आबंटित स्थान पर वाहन सुव्यवस्थित रूप से रखेंगे ताकि पक्षकारों एवं वाहनों के आवागमन में कोई व्यवधान न हो।
- 14 साइकिल/स्कूटर/दो पहिया/तीन पहिया/चार पहिया वाहन का पार्किंग शुल्क निम्नानुसार होगा:-
 1. साइकिल — रु. 2/- प्रतिदिन (प्रातः 10.00 से सायं 6.00 बजे)
 2. दो पहिया वाहन — रु. 5/- प्रतिदिन (प्रातः 10.00 से सायं 6.00 बजे)
 3. तीन पहिया वाहन— रु. 8/- प्रतिदिन (प्रातः 10.00 से सायं 6.00 बजे)
 - 3 चार पहिया वाहन— रु. 10/- प्रतिदिन (प्रातः 10.00 से सायं 6.00 बजे)
- 15 वाहन के चोरी चले जाने या नष्ट कर दिए जाने की दशा में ठेकेदार उत्तरदायी होगा।
- 16 निविदाकर्ता द्वारा पार्किंग शुल्क सूची (कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त) आम जनता को पढ़ने हेतु लगाई जावेगी एवं निर्धारित दर पर ही आम जनता से पार्किंग शुल्क लिया जावे। अन्यथा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- 17 निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरांत टेण्डर अवधि के दौरान बीच में ही कार्य बन्द करने या छोड़ने की दशा में सम्पूर्ण सुरक्षा निधि की राशि जप्त कर ली जाएगी।
- 18 वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कम से कम 2 कर्मचारी संचालक नियोजित करना होगा। नियोजित कर्मचारियों की सूची प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित कराई जावेगी। कर्मचारियों को संचालक पहचान-पत्र जारी करेगा, जो कर्मचारी द्वारा पार्किंग स्टेण्ड संचालन अवधि में धारित किये रहेंगे। नियोजित कर्मचारी किसी प्रकार का नशा न करते हो, यह निविदाकर्ता द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।

- 19 वाहन स्टेण्ड संचालन की अनुज्ञा अवधि समाप्त होने के बाद भी नई अनुज्ञा प्रदान किये जाने की कार्यवाही तक अधिकतम 03 माह तक उसी प्रीमियम राशि पर वर्तमान वाहन स्टेण्ड संचालक को वाहन स्टेण्ड का संचालन करना होगा।
- 20 निविदा अवधि एक वर्ष की होगी। निविदाकर्ता का कार्य संतोषप्रद पाये जाने की दशा में निविदाकर्ता के आवेदन पर समिति द्वारा निविदा की अवधि उसी दर या नवीनीकृत बढ़ी हुई दर पर 01 वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकेगी।
- 21 निविदाकर्ता का कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा बिना किसी सूचना के निविदा/अनुबंध समाप्त किए जाने का अधिकार होगा।
- 22 जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार की जावेगी उसे 03 दिन के अंदर निविदा की शर्तों की पूर्ति करते हुए निर्धारित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा एवं एफ.डी.आर. जमा किया जाना आवश्यक होगा।
- 23 सफल निविदाकर्ता को वाहन स्टेण्ड हेतु निर्धारित प्रीमियम राशि का भुगतान निविदा प्रारंभ होते ही प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीहोर के हक में एक माह की प्रीमियम राशि तत्काल प्रस्तुत करनी होगी। आगामी निर्धारित प्रीमियम राशि का भुगतान प्रत्येक मास में 10 तारीख तक आवश्यक रूप से जमा करनी होगी। निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित समयावधि में लाइसेंस फीस की राशि जमा न करने की स्थिति में अनुबंध समाप्त पार्किंग स्टेण्ड का कब्जा बिना किसी सूचना के प्राप्त कर लिया जावेगा।
- 24 निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रस्तुत करते समय प्रारूप-ए पर निविदा की दरें उल्लेखित की जावेगी। साथ ही उक्त दर पर ट्रांसपरेट टेप चरपा किया जाना होगा।
- 25 ठेका कार्य के संचालन के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद का निराकरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा। समिति के निर्णय के विरुद्ध किसी आपत्ति का अंतिम निराकरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीहोर द्वारा किया जावेगा तथा उनका निर्णय अंतिम व सभी पक्षों पर बंधनकारी रहेगा।
- 26 प्रधान जिला न्यायाधीश सीहोर को यह अधिकार होगा कि स्टेण्ड संचालन हेतु दिया गया लाइसेंस किसी भी समय बिना कारण बताये, बिना पूर्व सूचना के निरस्त कर दे और उस दशा में ऐसे आबंटितों को जिला न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट अवधि में वाहन स्टेण्ड का संचालन अविलम्ब बंद करना होगा अन्यथा प्रधान जिला न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वाहन स्टेण्ड संचालन को बंद कराकर आबंटित स्थान रिक्त करा ले। इस संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीश का निर्णय अंतिम और आबद्धकारी होगा।
- 27 न्यायालयीन कर्मचारियों को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा परिचय-पत्र प्रदान किया जावेगा तथा उनके द्वारा परिचय पत्र दिखाये जाने पर उनसे पार्किंग शुल्क नहीं लिया जावेगा।
- 28 अधिवक्तागण को अभिभाषक संघ सीहोर द्वारा परिचय-पत्र प्रदान किया जावेगा। अधिवक्तागण द्वारा परिचय-पत्र दिखाये जाने पर उनसे पार्किंग शुल्क नहीं लिया जावेगा।
- 29 कर्मचारीगण उनके वाहन कर्मचारियों हेतु निर्मित पार्किंग स्टेण्ड में रखेंगे। अधिवक्तागण अपने वाहन अधिवक्ताओं हेतु आरक्षित पार्किंग स्थल पर रखेंगे।
- 30 निर्धारित समयावधि के उपरांत निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
- 31 निविदाकर्ता द्वारा किसी भी स्थिति में निर्धारित दरों से अधिक वाहन पार्किंग शुल्क नहीं लिया जावेगा। आमजन को वाहन पार्किंग किये जाने के संबंध में प्रिंटेड रसीद प्रदान करना होगा जिस पर वाहन पार्किंग का शुल्क वाहन क्रमांक अंकित करना आवश्यक होगा।

- 32 निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर उसके द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि जप्त कर ली जावेगी अथवा उसमें पेनेल्टी स्वरूप युक्तियुक्त रकम काटी जावेगी।
- 33 निविदाकर्ता द्वारा पार्किंग स्टेण्ड में आने व जाने वाले वाहनों का रिकार्ड रखने हेतु पृथक् से रजिस्टर संधारित किया जावेगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा या उनके अधिकृत न्यायिक अधिकारी/प्रमुख द्वारा उक्त रजिस्टर का निरीक्षण किये जाने पर निविदाकर्ता द्वारा निविदाकर्ता द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- 34 नगरपालिका सीहोर अथवा अन्य कर जो पार्किंग स्टेण्ड संचालन हेतु दिया जाना है, का भुगतान निविदाकर्ता द्वारा किया जावेगा।
- 35 निविदाकर्ता द्वारा पार्किंग स्टेण्ड का संचालन कर्मचारियों हेतु निर्मित पार्किंग स्टेण्ड में नहीं किया जावेगा।
- 36 निविदाएं कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत की जा सकेंगी एवं निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 14.08.2025 नियत की जाती है तथा प्राप्त निविदाएं दिनांक 18.08.2025 को सायंकाल 05.00 बजे छानबीन समिति, सीहोर द्वारा खोली जावेगी जिसमें निविदाकर्ता उपस्थित रह सकते हैं। निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।

मध्यस्थता:—

निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध में उल्लेखित शर्तों के अनुसार कर्मचारियों के कार्य की गुणवत्ता अथवा किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, दावा, अधिकार, बात या बात के रूप में किसी भी तरह से अनुबंध, अनुमान, निर्देश, आदेश या इस शर्तों अथवा कार्य निष्पादन की विफलता में होने वाले सभी बिन्दुओं को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को संदर्भित किया जा सकेगा।